पत्रांक 1850

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह।

सेवा में,

प्रबंधक,
बेव इंटरनेशनल स्कूल, टटकरी
अंचल– जमुआ, गिरिडीह।

गिरिडीह। दिनांक 25.7.2019

विषय– निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक प्राथमिक शिक्षा स्कूली शिक्षा, साक्षरता विभाग के ज्ञापांक 13/प्र.1–05/2018– 444 दिनांक 18.03.2019 के आलोक में अद्योहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.07.2019 को विद्यालय की भौतिक संसाधनों का सत्यापन किया गया एवं पूर्व में अंकित तथ्यों को सही पाया गया। उक्त के आलोक में अंकित करना है कि निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 की उप धारा–01 के खण्ड–ग में उल्लेखित प्रावधान तथा विषयांकित विद्यालय द्वारा 25 प्रतिशत अभिवंचित वर्ग के बच्चो का नामांकन सुनिश्चित करने की शर्तो के अधीन आपके द्वारा दिनांक 19.01.2018 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात हुए पत्राचार एवं विद्यालय निरीक्षण के आधार पर मैं बेव इंटरनेशनल स्कूल, टटकरी, अंचल– जमुआ जिला– गिरिडीह को कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने के लिए ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:–

1. इस मान्यता में किसी भी रुप में कक्षा–08 के पश्चात मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावल 2011 के उपबंधों को पूर्णरुपेण पालन करेगा।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका–03 में उल्लेखित बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्तित राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उनके माता–पिता या अभिभावकों का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नही होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।

PRINCIPAL
Wave International School
Adarshnagar, Siyatand, Giridih

SECRETARY
WAVE INTERNATIONAL SCHOOL

7. विद्यालय में नामांकित छात्रों के अनुपात में शिक्षको को यथाशीघ्र प्रशिक्षित किया जाय।
8. बिद्यालय में कमजोर अभिवंचित वर्ग के 25 प्रतिशत छांत्रो की सुविधा सुनिचित किया जाय।
9. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
   - प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
   - प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करन की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र पदान किया जाएगा।
   - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्याथियों को प्रवेश दिया जाएगा।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहर्ताएँ के अनुरुप किया जायेगा तथा जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं हैं, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अहर्ताएँ अर्जित कर लेगे।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपले कर्त्तव्यों का पालन करेंगे।
   - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
10. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
11. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालयो के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
12. विद्यालय का अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है:–
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
   - कुल निर्मित क्षेत्र
   - क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल
   - प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भांडागार के लिए कक्ष
   - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
   - पेयजल सुविधा
   - मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई(सरकारी विद्यालय)
   - बाधारहित पहुंच
   - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता
13. विद्यालय के परिसर के भीतर या बाहर विद्यालय का नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जायेगी।
14. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
15. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियो के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।

PRINCIPAL
Wave International School
Adarshnagar, Siyatand, Giridih

SECRETARY
WAVE INTERNATIONAL SCHOOL

16. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
17. विद्यालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।
18. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सेसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक..0.4......है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।

25.7.19

जिला शिक्षा अधीक्षक,
गिरिडीह।
25.7.19

PRINCIPAL
Wave International School
Adarshnagar, Siyatand, Giridih

SECRETARY
WAVE INTERNATIONAL SCHOOL